बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

अप्रैल, 2024

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची

पेज नं.

(A)	बालासोर ट्रेन दुर्घटना – बिहार के पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुनर्प्राप्ति	03
(B)	हीट एक्शन प्लान अद्यतीकरण, कोल्ड एक्शन प्लान एवं तकनीकी मार्गदर्शिका	05
(C)	डीआरआर रोडमैप अद्यतीकरण	07
(D)	अगलगी की घटनाओं की चेतावनी/सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में बैठक	08
(E)	अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14 से 20 अप्रैल) विषय पर एडवायजरी जारी	09
(F)	सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण	10
(G)	"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम अंतर्गत युवकों/युवतियों का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	11
(H)	स्वास्थ्यकर्मियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण	12
(I)	अनुभवी राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण	13
(J)	दिव्यांगजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम राज्य भर में संचालित होगा	14
(K)	नुक्कड़ नाटक का डेमो संपन्न	16
(L)	हर व्यक्ति, बच्चे में भरना होगा पर्यावरण प्रेम का जज्बा : पद्मभूषण डा. अनिल प्रकाश जोशी	17
(M)	अप्रैल माह में मीडिया में प्राधिकरण की गतिविधियों की कवरेज	19
(N)	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	20
(O)	अप्रैल माह की व्यय विवरणी (रुपये में)	21
(P)	जन–जागरूकता के लिए मास मैसेजिंग	22

(A) बालासोर ट्रेन दुर्घटना – बिहार के पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुनर्प्राप्ति – बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का समन्वित एवं सतत प्रयास जारी

विगत 02 जून, 2023 को आड़िशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद बिहार में प्राधिकरण के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग, जीविका (ग्रामीण विकास विभाग), बीआईएजी, रिलायंस फाउंडेशन, यूनिसेफ और अन्य हितधारकों के साथ पीड़ितों एवं परिवारों के सहयोग हेतु शुरू की गयी समन्वित पहल 'प्रोजेक्ट विश्वास' अपने लक्ष्य की तरफ बढ रहा है। पीड़ितों एवं परिवार के जरुरतमंदों को सहायता, पुनर्वास, रेल दावा ट्रिब्यूनल में दावा आवेदन एवं अन्य तकनीकी सहयोग, रिलायंस के द्वारा उनके पुनर्वास हेतु कार्य तथा विभागों के सहयोग से सरकार की विभिन योजनाओं का लाभ, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सलाह इत्यादि कार्य प्राधिकरण की ओर से निरंतर जारी है। माननीय उपाध्यक्ष की सोच एवं गतिशील नेतृत्व के फलस्वरूप प्राधिकरण इस प्रयास को अंतिम मुकाम तक ले जाने में जुटा हुआ है। साथ ही, अपकेंद्रीय आपदा की स्थिति में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विकसित करने का भी काम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आइ.एस.एस. अर्थात् टिस) के सहयोग से किया जा रहा है।

प्राधिकरण के सतत प्रयास के फलस्वरूप रिलायंस फाउंडेशन ने पीड़ित चिन्हित परिवारों को पशुधन सहयोग कार्य शरू कर दिया है। अभी तक 08 पीड़ित परिवारों को पशुधन सहयोग दिया जा चुका है। शेष परिवारों को भी जल्द ही पशुधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। चिन्हित पीड़ित परिवारों के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार दिलाने हेतु रिलायंस दीर्घकालीन योजना पर कार्य कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन जल्द करने का आश्वासन दिया गया है। इधर, जीविका द्वारा चिन्हित परिवारों को सरकार की विभिन्न जीविकोपार्जन योजनाओं से आच्छादित करने के कार्य प्रगति पर जानकारी हेतु जीविका के सीईओ को एक आग्रह पत्र भेजा गया है।

'टिस' की द्वितीय वर्ष की छात्रा सुश्री सपना कुमारी का बालासोर ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों से संबंधित कार्यों पर इंटर्नशिप चल रहा है। पीड़ित परिवारों से फोन पर एवं उनके गांवों में घर पर जाकर सुश्री सपना आवश्यक जानकारी जुटा रही हैं जिससे भविष्य की कार्य योजना बनाने में मदद मिल सकती है। 'टिस' ने हादसे के उन पीड़ितों की सूची साझा की है जिनका जीविका द्वारा अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह सर्वेक्षण परियोजना विश्वास के अंतर्गत किये जाने के लिए 'टिस' द्वारा आग्रह किया गया है। 'टिस' की

रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में मृत हुए 16 लोगों, लापता हुए 2 लोगों और घायल हुए 40 लोगों का अभी तक जीविका द्वारा आकलन नहीं किया गया है। कुछ जीवित बचे लोगों को अभी तक सहायता नहीं मिली है।

'टिस' ने प्राधिकरण की पहल पर परियोजना के लिए श्री छवि रंजन को आपदा प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायता हेतु नियुक्त किया गया है एवं वे वर्तमान में पटना के जीविका कार्यालय में 'टिस' की ओर से कार्यरत हैं। वह जीविका के साथ समन्वय करेंगे और उपरोक्त 58 पीड़ितों का आकलन जल्द से जल्द पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। इन पीड़ित परिवारों की सूची पहले ही जीविका के साथ साझा कर दी गई है।

अमेरिका में बिहार और बिहारवासियों के कल्याण हेतु कार्यरत गैरसरकारी संस्था ओ2बी2 (ओवरसीज ऑर्गनाइजेशन फॉर बेटर बिहार) की पहल पर एक विकलांग पीड़ित श्री बजरंगी का चयन किया गया है जो बांका के रहनेवाले है और इन्हें ई–रिक्शा प्रदान करने में सहयोग देने के लिए संस्था की प्रतिनिधि सुश्री मनीषा पाठक ने सहमति व्यक्त की है। सभी संबंधित कागजात संस्था को भेज दिए गए हैं। मई महीने में बजरंगी को ई–रिक्शा मिल जाने की संभावना है।

रामबन सड़क दुर्घटना : बिहार के पीड़ित 08 मजदूरों के परिवार की सुधि ली गई

30 मार्च, 2024 को रामबन जिले में जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें दस लोगों की मृत्यु हो गई। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मृतकों की पहचान की, जिनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। आठ मृतक बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा से थे, और एक उत्तर प्रदेश (यूपी) से था। यह हादसा तब हुआ जब उनकी बस जम्मू के पास एक पुल से नीचे खाई में गिर गई। माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशनुसार श्रम एवं नियोजन विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से अनुरोध गया है कि इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाये। उनके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रभावित परिवारों से मिलने, मृतकों के परिजनों का पता लगाने और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं में शामिल करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया। साथ ही, आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त मृतकों और उनके पते का विस्तृत विवरण साझा किया गया।

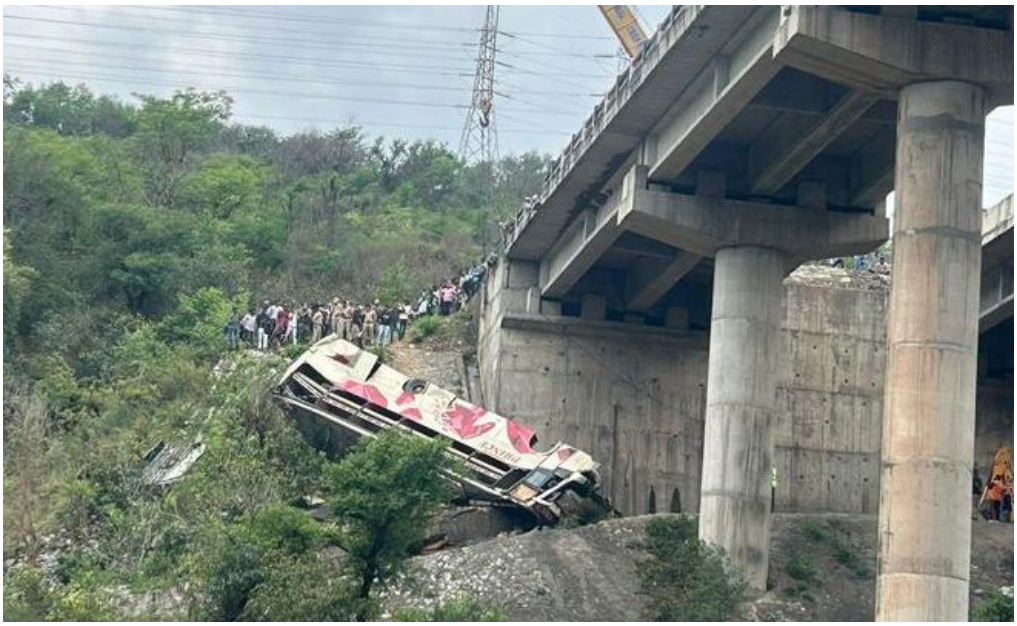

(B) हीट एक्शन प्लान अद्यतीकरण, कोल्ड एक्शन प्लान एवं तकनीकी मार्गदर्शिका

हीट एक्शन प्लान अद्यतीकरण एवं कोल्ड एक्शन प्लान बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ (आईआईपीएच), गांधीनगर के साथ संपन्न सहमति पत्र (एमओयू) के तहत कार्य चल रहा है। आरंभिक ड्राफ्ट में कई बार अनेक संशोधन सुझाए गए। साथ ही, डीआरआर रोडमैप एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के कोल्ड एक्शन प्लान मार्गदर्शिका के अलोक में ड्राफ्ट को पुनः तैयार करने को कहा गया। संस्थान के साथ ऑनलाइन मोड में कई बैठकें की गयीं, लगातार समीक्षा की गयी एवं ड्राफ्ट को सही रूप दिया जा सका। इस तरह हीट एक्शन प्लान, कोल्ड एक्शन प्लान एवं कोल्ड एक्शन प्लान की तकनीकी मार्गदर्शिका का फाइनल ड्राफ्ट प्राप्त हो गया है। फाइनल ड्राफ्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत 08 अप्रैल, 2024 को आईआईपीएच के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्थान की ओर से उनके निदेशक डॉ दीपक बी. सक्सेना एवं प्राध्यापक श्री यसोबंत उपस्थित रहे। कोल्ड एक्शन प्लान एवं टेक्निकल गाइडबुक (कोल्ड एक्शन प्लान) पुस्तिका का विस्तृत प्रस्तुतीकरण माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एवं माननीय सदस्यत्रय के मार्गदर्शन में 08 अप्रैल, 2024 को प्राधिकरण सभागार में किया गया जिसमें निदेशक डॉ दीपक बी. सक्सेना एवं प्राध्यापक डॉ यसोबंत उपस्थित रहे। माननीय सदस्य श्री राय सर की लिखित टिपण्णी, माननीय उपाध्यक्ष की ऑनलाइन मोड में टिपण्णी एवं डॉ सी एन प्रभु, बिहार मौसम सेवा केंद्र की लिखित टिपण्णी तथा अन्य सुझावों को सन्निहित कर ड्राफ्ट को पुनः परिमार्जित किया गया एवं अंतिम रूप दिया गया।

हीटवेव पर ऑनलाइन मोड में बैठक आयोजित

04 अप्रैल, 2024 को हीट वेव पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की बैठक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई और इसमें लगभग सभी राज्यों ने भाग लिया। बैठक में राज्य स्तर पर हीटवेव तैयारियों का विवरण बीएसडीएमए द्वारा साझा किया गया। बैठक की अध्यक्षता एनडीएमए के सदस्य श्री कमल किशोर जी ने की, जिन्होंने भारत में 2023 की भीषण गर्मी के साथ–साथ 2024 में भी संभावित अनुभव की जाने वाली गर्म स्थिति विस्तार से बताया, राज्यों द्वारा प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक तैयारियों, क्षमता निर्माण, जागरूकता आदि के बारे में भी बताया।

बैठक में निम्न सलाह दी गई :

(1) राज्य हीट एक्शन प्लान (एच.ए.पी.) के कार्यान्वयन की निगरानी बढ़ाएं

(2) जिला और शहर स्तर पर एच.ए.पी. को प्राथमिकता से बनाया जाए।

(3) गर्मी से संबंधित बीमारी पर जल्द से जल्द क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाए।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव स्तर पर हीटवेव पर बैठक आयोजित

29 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 03.00 बजे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव स्तर पर हीट वेव पर ऑनलाइन मोड में बैठक आयोजित की गई। बैठक मे मुख्य सचिव के साथ उनके कार्यालय से श्री संदीप कुमार, ओ.एस.डी., आपदा प्रबंधन विभाग एवं प्राधिकरण की ओर से वरीय सलाहकार डा. अनिल

कुमार उपस्थित थे। यह बैठक गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गृह सचिव ने भारत में गर्मी की स्थिति एवं उससे उत्पन्न चुनोतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि राज्यस्तरीय तंत्र सबल एवं सक्षम हो। इन चुतोतियों का सामना करने के लिए गहन अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है। यह भी सलाह दी गयी कि जिलास्तरीय हीट एक्शन प्लान होना चाहिए एवं जिला स्तरीय पूर्व तैयारियां और प्रतिक्रिया का भी अनुश्रवण लगातार होना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन विशेषतः गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए कार्य योजना (एच.आर. आई.) : क्षमतावर्द्धन एवं राज्य की आपदा सहनशीलता की वृद्धि :

15 फरवरी, 2024 को ऑनलाइन मोड में माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ आयोजित बैठक में बिहार स्वास्थ्य समिति के वरिष्ठ अधिकारियों और आईएमए पटना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य डब्ल्यूएचओ के सहयोग से बिहार में जलवायु विशेषतः गर्मी से सम्बंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथ क्षमतावर्द्धन करना।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन (भ्) के सहयोग से एक व्यापक कार्य योजना तैयार करेगा। इस योजना को बिहार स्वास्थ्य समिति के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य की क्षमता को बढ़ाना है ताकि जलवायु परिवर्तन से विशेषतः गर्मी से होने वाली बीमारियों का सामना किया जा सके एवं प्रतिरोधक क्षमता बढाई जा सके।

डब्ल्यूएचओ, नई दिल्ली के साथ परामर्श कर क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कार्ययोजना का विवरण तैयार किया गया। कार्ययोजना को निरंतर आधार पर लागू करने में डब्ल्यूएचओ का तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध पत्र दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत के प्रतिनिधि Dr. Roderico H- Ofrin ने माननीय उपाध्यक्ष को लिखे अपने पत्र (तिथि 18 अप्रैल, 2024) के माध्यम से उच्च तापमान से संबंधित बीमारियों के खिलाफ मजबूत तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने के बिहार के प्रयास को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है।

इस कार्ययोजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :

. प्राधिकरण और डब्ल्यूएचओ संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

- खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना विकसित की जा सकती है।

- स्वास्थ्य विभाग और बिहार स्वास्थ्य समिति संयुक्त रूप से विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य, जिला और समुदाय स्तर पर लागू करने में मदद कर सकते हैं।

- बिहार स्वास्थ्य समिति आपदा प्रबंधन योजनाओं के स्वास्थ्य पहलुओं को विकसित करने और लागू करने में मदद कर सकती है।

(C) डीआरआर रोडमैप अद्यतीकरण

यूनिसेफ द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) रोडमैप के अद्यतीकरण का अंतिम चरण में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की सोच के अनुरूप पूरे ड्राफ्ट का नए सन्दर्भ में एवं इसकी उपादेयता को ध्यान में रखते हुए पुनर्लेखन किया गया, सभी सुझाव एवं संशोधनों को सन्निहित कर लिया गया है। रोडमैप के हिंदी अनुवाद पर भी यूनिसेफ कार्य कर रहा है ।

रोडमैप के तहत शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न किए जानेवाले कार्यों की पुस्तिका के आरंभिक प्रारूप में संशोधन हेतु सुझाव दिया गया है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद अन्य विभागों की पुस्तिकाएं तैयार की जाएंगी। संबंधित विभागों के साथ एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला यूनिसेफ के सहयोग से मई महीने में की जा सकती है, जिसके आधार पर इसके क्रियान्वयन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

आपदा प्रबंधन में एआर, वीआर मॉडल

पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलायट से ईमेल द्वारा पत्राचार किया गया। इन कंपनियों द्वारा कोई भी जबाब नहीं मिल पा रहा है। निदेशानुसार अन्य सॉफ्टवेयर संस्थाओं से भी संपर्क किया गया। चार सॉफ्टवेयर संस्थानों का प्रस्तुतीकरण किया गया। अंततः टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) के साथ भी संपर्क किया गया। उनसे इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया गया है। टीसीएस के जोनल प्रमुख श्री सैबल सिन्हा के साथ लगातार संपर्क एवं चर्चा के बाद उनकी टेक्निकल टीम एक आरंभिक प्रस्तुति करेगी। उसके पहले संबंधित प्रोफेशनल्स के साथ बैठक कर इस कार्य के स्वरुप को तय किया जा सकेगा। तदनुसार टीसीएस अपनी समझ से एक प्रस्तुतीकरण माननीय उपध्यक्ष के नेतृत्व में करेगा एवं आगे की कार्रवाई हेतु निदेश प्राप्त करेगा।

(D) अगलगी की घटनाओं की चेतावनी/सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में बैठक

अगलगी की घटनाओं के लिए चेतावनी/सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2024 को विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक प्राधिकरण के सभाकक्ष में आयोजित की गई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय तथा माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र की संयुक्त अध्यक्षता में उक्त बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगलगी की घटनाओं के लिए अग्रिम चेतावनी/सूचना के प्रेषण की वर्तमान समय में महती आवश्यकता है ।

उक्त बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई। बिहार मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से अभी अंचल स्तर तक के तापमान, आर्द्रता, हवा की गति आदि जानकारियां एवं पूर्वानुमान 2–3 दिन पूर्व ही प्राप्त हो जाती हैं। इस अग्रिम सूचना/चेतावनी से प्रभावित आबादी, विशेषकर बस्तियों एवं खेत–खलिहान में कार्य करनेवालों को ससमय पहुंचाने पर विमर्श उपरांत आवश्यक निर्णय किए गए।

बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा निर्गत मौसम की जानकारी से संबंधित अग्रिम सूचना को उन विभागों को दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिनके कर्मियों की उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है, जैसे कृषि (कृषि सलाहकार), पंचायती राज विभाग (मुखिया, सरपंच), ग्रामीण कार्य विभाग (जीविका) एवं अग्निशाम सेवा आदि। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि मौसम की जानकारी के साथ की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई का प्रारूप प्राधिकरण के द्वारा बिहार मौसम सेवा केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा, जो इस अग्रिम सूचना का भाग होगा।

संबंधित विभागों के द्वारा जिला एवं ग्राम स्तर की अपनी संवाद प्रणाली के माध्यम से इस पूर्व सूचना को, विभाग से संबंधित इनपुट के साथ, अग्रसारित किया जाएगा। बिहार मौसम सेवा केंद्र के द्वारा बनाए गए जिस मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से मौसम की अग्रिम जानकारी प्राप्त होती है, उसको भी अधिक जोर–शोर से प्रचारित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मौसम की अग्रिम जानकारी को बिहार अग्निशाम सेवा केंद्र के द्वारा अग्निशामालयों, संवेदनशील बस्तियों एवं गावों के लोगों के बीच किए जाने का निर्णय भी किया गया।

(E) अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14 से 20 अप्रैल) विषय पर एडवायजरी जारी

राज्य में अप्रैल से जून माह तक अगलगी की घटनाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण हेतु राज्य भर में **14–20 अप्रैल** 2024 की अवधि में 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन किए जाने के उद्देश्य से सभी जिलों को प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन हेतु एडवायजरी की सॉफ्ट कॉपी तथा अग्नि सुरक्षा विषय पर प्राधिकरण स्तर पर तैयार की गई वीडियो क्लिप्स की सॉफ्ट कॉपी जिला प्रशासन के ई–मेल आई. डी. पर भेजी गई ।

'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा जन जागरूकता रथ (विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां विगत वर्षों में अगलगी की घटनाएं हुई हों), भीड़ भाड़ वाले भवनों में मॉक ड्रिल, नुक्कड़ नाटक, विद्यालयों में बच्चों के बीच पेंटिंग, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स, कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि आदि कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के सभी जिलों से अनुरोध किया गया ।

अगलगी से बचाव हेतु सलाह (Advisory)

अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 - 20 अप्रैल, 2024

बिहार सरकार

राज्य के गाँवों एवं शहरों में अगलगी की घटनाएँ बढ़ने लगी हैं। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी और पछुआ हवा चलेगी, अगलगी के घटनाओं की संभावना बढ़ती जाएगी। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल को भारी क्षति पहुँचती है तथा सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हम सब इसे रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें।

अतएव अगलगी से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है:-

अगलगी से बचाव हेतु उपाय :-

- दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे तक बना लें।
- कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगावें।
- हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।
- आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- आग से हमारे खेत, खलिहान एवं जान-माल की रक्षा हेतु जलती हुई माचिस की तीली, अधजली बीड़ी एवं सिगरेट इधर-उधर ना फेंकें।
- शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय-समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें और निगरानी अवश्य करते रहें।
- भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
- खाना बनाते समय ढीले-ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।
- आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- फायर ब्रिगेड (101, 112 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें आग बुझाने में सहयोग करें।
- अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें दिए गए चित्र के अनुसार बुझाने का प्रयास करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

डी-ब्लॉक, पांचवां तल, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ, पटना - 800023, फोन : (0612) 2547232

Visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) - (0612) 2294204/205 टॉल फ्री नं० : 1070, मो० नं० : 7070290170

आपात की स्थिति में संपर्क करें

बिहार अग्निशमन सेवा : 0612-2222020, मो. नं. : 7485805818, कंट्रोल रूम नं. : 0612-2222213, 0612-2222214, अग्निशमन हेल्प लाईन : 101, 112

(F) सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय स्तर पर संचालित किए गए बालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु दिनांक 25 अप्रैल, 2024 को नालंदा जिले के बिहारशरीफ एवं रहुई अंचलों में अंचल अधिकारियों की उपस्थिति में चिह्नित साइट्स के प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों एवं अभिभावकों के साथ औपचारिक संवाद हुआ और प्रशिक्षण स्थल का अवलोकन किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को शेखपुरा जिले के शेखपुरा एवं शेखोपुरसराय अंचलों में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, शेखपुरा एवं शेखोपुरसराय के अंचल अधिकारी की उपस्थिति में चिह्नित साइट्स के प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों एवं अभिभावकों से प्राधिकरण की टीम मिली और उनसे संवाद किया। साथ ही यहां स्थित प्रशिक्षण स्थलों का अवलोकन किया गया। उल्लिखित जिलों में अनुश्रवण के दौरान प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण संचालन के पूर्व समुदाय/विद्यालय स्तर पर रिसोर्स पर्सन्स की देखरेख में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा बैठकों का आयोजन किया गया।
- जिला एवं अंचल प्रशासन के द्वारा प्रशिक्षण के पूर्व की जाने वाली तैयारियों को समुचित तरीके से समसमय करवाया गया।
- चिह्नित साइट्स पर बालकों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण 02 पालियों में जिला प्रशासन एवं रिसोर्स पर्सन्स की देख–रेख में सम्पन्न करवाया गया।
- प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों का अनुभव उत्साहवर्द्धक रहा। आगामी दिनों में ऐसे और प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं ।
- अभिभावकों ने अनुभव साझा किया कि प्रशिक्षण के पूर्व में उनके बच्चे तालाब के पास जाते थे, तो उन्हें भय लगता था। प्रशिक्षण के उपरांत उनके बच्चों में तैराकी कौशल का अच्छा विकास हुआ।
- प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों को प्रमाण पत्र, ड्रेस एवं पुरस्कार वितरित किए गए।
- मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा बच्चों से निरंतर संवाद एवं प्रशिक्षण की विभिन्न तकनीकों के बारे में भली–भाँति अभ्यास करवाया गया ।

आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में अंचल एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के सुझाव : उल्लिखित अंचलों की चिह्नित साइट्स पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले बच्चों द्वारा अवगत करवाया गया कि उन्हे पानी के अंदर कंकड़, पत्थर एवं शीशा आदि के द्वारा चोटें लगी थी। हालांकि प्राथमिक उपचार एवं अन्य स्थानीय उपचार से उनकी चोटें ठीक हो गयीं ।

(G) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम अंतर्गत युवकों/युवतियों का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के उद्देश्य से 'सुरक्षित तैराकी' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों को निर्धारित अर्हताओं के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षुओं को रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा 09 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने को बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

बैच सं0	तिथि	जिला	प्रखण्ड	स्थान	कुल मास्टर ट्रेनर्स
19वां	01.04.2024 से 09.04.2024 तक	पटना	सदर एवं दानियावाँ	NINI	15
कुल =					15

अप्रैल माह 2024 तक कुल 19 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, सुपौल, नवादा, अररिया, मुंगेर एवं जिलों के कुल के कुल 464 (440 युवकों एवं 24 युवतियों) को मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है ।

(H) स्वास्थ्यकर्मियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण

किसी भी आपदा के दौरान अस्पताल प्रभावित होने वाला पहला संस्थान होता है एवं आपदा से प्रभावित समुदाय अस्पतालों का ही रूख करता है। आपदा के दौरान पीड़ित समुदाय को प्रभावी व त्वरित चिकित्सा सेवा मुहैया कराने साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य से स्वास्थ्यकर्मियों का क्षमतावर्द्धन किया जाना आवश्यक है।

इस आलोक में प्राधिकरण एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में अप्रैल माह में दिनांक 18–19 एवं 29–30 अप्रैल, 2024 के अन्तराल में दो बैचों में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालंदा, दरंभगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भागलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बेतिया, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पूर्णिया, जननायक कपूरी ठाकुर कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा के साथ–साथ अनुमण्डलीय अस्पताल, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज (सुपौल), उदाकिशुनगंज (मधेपुरा), बेनीपटी, जयनगर, फूलपरास (मधुबनी), बनमनखी, धमदहा (पूर्णिया), बारसोई, मनिहारी (कटिहार), फारबिसगंज (अररिया), दाउदनगर (औरगांबाद), डुमराँव (बक्सर) से आकस्मिकी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं सीनियर नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया।

(I) अनुभवी राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप के दौरान आवासीय भवनों समेत अन्य संरचनाओं को होनेवाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य भर में असैनिक अभियंताओं व अनुभवी राजमिस्त्रियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने के लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 5000 अभियंताओं, वास्तुविदों एवं संवेदकों तथा करीब 20,000 अनुभवी राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आपदा प्रबंधन के बदले परिदृश्य में भूकंपरोधी भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने एवं पूर्व में निर्मित मकानों की रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाने की दिशा में प्राधिकरण कार्य कर रहा है। अनुभवी राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की संस्था नेशनल स्किल डेवलेपमेंट कौंसिल (एनएसडीसी) के साथ प्रस्तावित सहमति पत्र (एमओयू) के सन्दर्भ में संशोधित ड्राफ्ट दुबारा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ जिस पर फिर से विधिक परामर्श लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष के निदेशानुसार इसे अन्तिम रूप देने हेतु एनएसडीसी से समन्वय का कार्य किया गया । अनुबंध के संशोधित प्रारूप पर प्राधिकरण भी सहमत है। विभागीय अनुमोदन हेतु संचिका भेजी जा चुकी है।

बी एस टी एन (बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क) की स्थापना

बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क (बीएसटीएन) की स्थापना से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हेतु बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा तैयार किये गए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) को पुनरीक्षण व संपुष्टि (वेट्टिंग) हेतु विशेषज्ञों को भेजा गया था। उनसे प्राप्त सुझाव के शामिल करते हुए संशोधित आरएफपी बिहार मौसम सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ जिसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु सचिव को पृष्ठांकित किया गया। बीएसटीएन के भवन निर्माण में हुई त्रुटि एवं जल रिसाव को ठीक करने के बिंदु पर आवश्यक निदेश भवन निर्माण निगम को दिया गया है। इन भवनों का निरीक्षण बिहार मौसम सेवा केंद्र के डॉ० प्रभु द्वारा निगम के अभियंता के साथ संयुक्त रूप से किया गया है तथा उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सुसंगत कार्यवाही की जा रही है।

(J) दिव्यांगजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम राज्य भर में संचालित होगा

दिव्यांगजनों को आपदाओं में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 'दिव्यांगजन समायोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण व क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम' संचालित कर रहा है। इसके जरिये दिव्यांगों के साथ–साथ उनके शिक्षक–प्रशिक्षक, परिजन और केयरगिवर्स को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक व सतर्क किया जा रहा है। पूरे राज्य में तीव्र गति से इस कार्यक्रम को संचालित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डा. उदय कांत की अध्यक्षता में दिनांक 25–04–2024 को एक बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय एवं माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र के मार्गदर्शन में यह बैठक आयोजित की गई। संचालन प्राधिकरण के सहायक संपादक व कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी श्री संदीप कमल ने किया। माननीय उपाध्यक्ष बैठक में ऑनलाइन जुड़े।

प्राधिकरण सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), बिहार अग्निशमन सेवाएं और महिला एवं बाल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार की संस्था कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर (सीआरसी), यूनिसेफ सहित विभिन्न हितभागी संस्थानों के पदाधिकारियों व स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। बैठक में जन्मजात दिव्यांगता की रोकथाम पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एनएमसीएच), इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) सहित विभिन्न दिव्यांग अस्पतालों के चिकित्सकों ने अपने विचार रखे।

बैठक में यह तय किया गया कि दिव्यांगजन समायोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग के तहत जिले में संचालित सरकारी शैक्षणिक विद्यालयों, निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं एवं 'सक्षम' के अधीन अनुमंडल स्तर पर कार्यरत बुनियाद केंद्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके साथ–साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) की ओर से प्रखंडों में नियुक्त रिसोर्स पर्सन भी प्रशिक्षित किए जाएंगे। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण देंगे। समाज कल्याण विभाग की संस्था 'सक्षम' (स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर) की अगुवाई में यह काम

एम्स, पटना की प्रोफेसर डॉ. मुक्ता अग्रवाल, एनएमसीएच के डॉ. राकेश कुमार और स्टेट हेल्थ सोसायटी के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर (एसपीओ) की एक कमेटी बनाई गई। एसपीओ इसका नेतृत्व करेंगे। यह कमेटी जन्मजात दिव्यांगता रोकने के लिए बीएसडीएम और सरकार को क्या करना चाहिए, यह बताएगी। **बैठक में** एमके चौधरी, डीआईजी, फायर सर्विसेज, राजीव वर्मा, डायरेक्टर, महिला एवं बाल विकास निगम, प्रियदर्शनी, डायरेक्टर, सीआरसी, जितेंद्र पांडेय, एएसपी, एसडीआरएफ, राम रतन, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, स्टेट हेल्थ सोसायटी, मो. शाहनवाज अहमद, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, सक्षम, फजले रब्बानी, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, सक्षम, हरिशंकर राम, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, सुजाता राज, ओएसडी, समाज कल्याण विभाग, अदिति प्रिया, सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, निखिल आनंद, उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिनेश राम, एओपी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, आदि ने भाग लिया।

बुनियाद केंद्र का दौरा

–प्राधिकरण की दो सदस्यीय टीम ने 9 अप्रैल को दानापुर स्थित बुनियाद केंद्र (पटना सदर) का दौरा किया और वहां के कार्यों की जानकारी ली। जिला प्रबंधक अन्नु ने केंद्र की ओर से दिव्यांगजनों को दी जा रही सहायता और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में समाज कल्याण विभाग की सोसाइटी 'सक्षम' के तहत बुनियाद केंद्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। यहां कार्यरत केस मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑथ्थलमोलाजिस्ट, केयरगिवर्स आदि को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना के बारे में जिला प्रबंधक को बताया गया। उन्होंने आशा जताई कि दिव्यांगजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में बुनियाद केंद्र निश्चित ही एक बड़ा जरिया साबित होंगे। दो सदस्यीय टीम में श्री संदीप वर्मा, परियोजना पदा. और श्री संदीप कमल, सहा. संपादक शामिल थे।

(K) नुक्कड़ नाटक का डेमो संपन्न

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सहयोग से आयोजित नुक्कड़ नाटक स्क्रिप्ट लेखन प्रतियोगिता में चयनित स्क्रिप्ट पर विभिन्न नाट्य दलों के कलाकारों ने प्राधिकरण सभाकक्ष में दिनांक 29–30 अप्रैल, 2024 को डेमो दिया। अपराह्न 3.30 बजे से 5.00 बजे के बीच यह आयोजित किया गया। मूल्यांकन समिति के सदस्यों ने सभी नई स्क्रिप्ट को नाट्य योग्य पाया। कुछ स्क्रिप्ट में मामूली सुधार के सुझाव दिए गए। स्क्रिप्ट लिखने वाले लेखक भी इस दौरान उपस्थित रहे।

'हिंदी हैं हम'

हर माह की 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाने के निदेश के आलोक में अप्रैल महीने में हिंदी दिवस कार्यक्रम 'हिंदी हैं हम' सोमवार, 22 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 3.30 बजे से सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्राधिकरण कर्मियों के बीच इस दिन 'लोकतंत्र में वोट की ताकत' विषय पर समूह परिचर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही आसन्न चुनाव में वोट करने का सभी ने संकल्प लिया। समारोह में विगत माह में संपन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

(L) हर व्यक्ति, बच्चे में भरना होगा पर्यावरण प्रेम का जज्बा : पद्मभूषण डा. अनिल प्रकाश जोशी

- **प्राधिकरण के सभाकक्ष में पर्यावरण परिवर्तन और पुनर्संयोजन नीति पर हुई चर्चा**
- **उद्यमियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना जरूरी**
- **यदि मानव को बचाना है, तो पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर 'इनसे मिलिए' कार्यक्रम का आयोजन 09 अप्रैल को किया गया। इसमें प्रख्यात पर्यावरणविद् पद्म भूषण डा. अनिल प्रकाश जोशी ने आने वाली सभी आपदाओं के प्रति आगाह किया। उन्होंने उद्यमियों को ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भविष्य के लिए सचेत रहने को कहा। प्राधिकरण के कार्यालय में माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर मिश्र ने पौधा व अंगवस्त्र देकर डा. अनिल प्रकाश जोशी के साथ वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद श्री पंकज मालवीय को सम्मानित किया।

कार्यक्रम के उद्घाटन संबोधन में माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इनमें पेड़ पौधों को संरक्षण प्रदान करने के साथ जैव संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र घोषित करने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में लेना होगा। सभी को उसमें अपनी सहभागिता निभानी होगी। उन्होंने प्राधिकरण के नए कदम "नीतीश पेंडेंट" और 'बीएसडीआरएन एप्प' के बारें में भी विस्तार से चर्चा की।

डॉ अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि अभी जागरूक होकर हम उन भयावह परिणामों को रोक सकते हैं। इसके लिए जल, जीवन, जमीन और जंगल का संरक्षण करना होगा। यह संरक्षण सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। डा. जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हालात बेकाबू होने लगे हैं। हमें यह समझना होगा, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकृति के सबसे बड़े उत्पाद हैं। इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी। पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, यदि मानव मात्र को बचाना है, तो पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है।

"इनसे मिलिए" कार्यक्रम में भाग लेने आए डॉ जोशी ने कहा कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन यदि मानव जीवन नहीं रहेगा, तो इस विकास का कोई अर्थ नहीं। इसलिए इकोलाजी इंक्लूसिव इकोनामी ही इस समस्या का एकमात्र हल है, इसलिए पर्यावरण शोधकर्ता उद्योगपतियों एवं जनमानस को एक साथ पर्यावरण के लिए सहभागिता करनी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया 300 साल में

बदली है। विकास के नए स्थान स्थापित हो और सीमाएं तय होनी चाहिए। विकास के साथ समृद्धि ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल आज की बहुत बड़ी जरूरत हैं। इसको–उद्यमी, प्राकृतिक पर्यावरण और व्यवसाय की कथित विरोधाभासी दुनिया को पाटते हैं। डॉ जोशी ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के कई तत्व मजबूत हैं और आम तौर पर एक साथ विकसित हुए हैं। इसी तरह, इन पारिस्थितिक तंत्रों के गठन से पता चलता है कि सरकारें या सामाजिक नेता जो आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में अधिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें एक साथ कई ऐसे तत्वों को मजबूत करना होगा। आज हम कृषि के इकोनोमी से औद्योगिक अर्थतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें ही तालमेल बिठाना होगा।

इस मौके पर माननीय सदस्य श्री पी एन राय ने कहा कि पहले बिहार में मात्र 7 प्रतिशत हरित क्षेत्र था जो अब बढ़ कर 15 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रॉस इकॉलोजी प्रोडक्ट पर प्राधिकरण कार्य करेगा। इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव श्री मीनेंद्र कुमार, विशेष सचिव श्री आशुतोष सिंह, पर्यावरणविद डॉ नागेंद्र मेहता के साथ पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे ।

पद्म भूषण श्री अनिल प्रकाश जोशी

■ 2020 में, अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।

■ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष–2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

■वह एक गैर सरकारी संगठन, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (HESCO) के संस्थापक हैं।

■ उन्होंने उत्तराखंड के ग्रामीण समुदायों के उत्थान और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।

■ वह उन प्रमुख लोगों में से हैं जो राज्य की जैव विविधता की रक्षा के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद जैसी अवधारणा लाने के लिए गहनता से काम कर रहे हैं।

■ वर्ष–2006 में ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार

■उत्तराखंड के कोटद्वार में जन्मे। वनस्पति विज्ञान में एम.एससी हैं। पर्यावरण विज्ञान में पीएच.डी.।

■ सरकारी कॉलेज में रीडर की आरामदायक नौकरी छोड़ दी। कॉलेज और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में लग गये। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवश्यकता–आधारित प्रौद्योगिकी के लिए एक गैर सरकारी संगठन, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (HESCO) की स्थापना की। 'महिला प्रौद्योगिकी पार्क' और 'माउंटेन–इको सिस्टम के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप' जैसी बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया।

■ 1979 में वानस्पतिक विधियों के माध्यम से भूस्खलन के खतरे को रोकने के कार्य के बारे में निर्धारित किया गया। सीमा सड़क संगठन ने गढ़वाल में मिट्टी के कटाव और भूस्खलन को रोकने के लिए उनकी तकनीकी सलाह ली।

■ अशोक फेलो के रूप में, विभिन्न माध्यमों से हिमालय के सतत विकास से संबंधित 80 से अधिक शोध पत्र और 10 पुस्तकें लिखी हैं। 2002 में 'द वीक' मैगजीन द्वारा 'मैन ऑफ द ईयर' घोषित किया गया। 1999 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(M) अप्रैल माह में मीडिया में प्राधिकरण की गतिविधियों की कवरेज

हर व्यक्ति में जगाना होगा पर्यावरण के प्रति प्रेम

जागरण संवाददाता, पटना: जल, जीवन, जमीन और जंगल का संरक्षण करना होगा। यह सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यदि मानव को बचाना है तो पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति में पर्यावरण प्रेम का जज्बा जगाना होगा। पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद डा. अनिल प्रकाश जोशी ने ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के प्रति आगाह करते हुए ये बाते कहीं। वे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर 'इनसे मिलिए' कार्यक्रम में मंगलवार को बोल रहे थे।

पर्यावरण परिवर्तन और पुन:संयोजन नीति पर चर्चा में शामिल होने पहुंचे पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी, सदस्य मनीष कुमार वर्मा, डा. पीएन राय व अन्य। सौ : प्राधिकरण।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन यदि मानव जीवन नहीं रहेगा, तो इस विकास का कोई अर्थ नहीं। इसलिए पारिस्थितिकी समावेशी अर्थव्यवस्था (इकोलाजी इंक्लूसिव इकोनामी) ही इस समस्या का एकमात्र हल है। विकास के साथ समृद्धि ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल आज की बहुत बड़ी जरूरत हैं।

इससे पूर्व उद्घाटन संबोधन में सदस्य मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इनमें पेड़-पौधों को संरक्षण प्रदान करने के साथ जैव संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र घोषित करने होंगे।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में लेना होगा। सभी को उसमें अपनी सहभागिता निभानी होगी। उन्होंने प्राधिकरण के नए कदम नीतीश पेंडेंट और 'बीएसडीआरएन एप' के बारे में भी बताया। सदस्य पीएन राय ने कहा कि पहले बिहार में केवल सात प्रतिशत हरित क्षेत्र था जो अब बढ़ कर 15 प्रतिशत हो गया है।

06, 07, 08, 09 एवं 10 से होगा तथा वाहन के साथ आने वाले नमाजियों के वाहनों का प्रवेश गेट नं. 05, 07 एवं मध्य, नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रहेंगे।

मतलब वर्तमान समय का भयमुक्त वातावरण नहीं, बल्कि बाहुबलियों, यदि नीतीश सरकार में बिहार के हुए कायाकल्प को विकास नहीं मानते, तो कुकर्म हुए हैं, उसने राजद को विकास पर बोलने लायक तक नहीं छोड़ा है।

सभी में भरना होगा पर्यावरण प्रेम का जज्बा: डा अनिल

ग्रास इकोलॉजी प्रोडक्ट पर करना होगा काम: राय

पटना (आससे). पद्म भूषण से सम्मानित डा अनिल प्रकाश ने कहा है कि हर व्यक्ति व बच्चा में पर्यावरण प्रेम का जज्बा भरना होगा। डा अनिल प्रकाश मंगलवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभागार में आयोजित पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जनसहभागिता विषय पर आयोजित इनसे मिलिए कार्यक्रम को संबोधित कर रह थे।

उन्होंनें आने वाली आपदाओं के प्रति लोगों को सचेत करते हुए कहा कि उद्यामियों को ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भविष्य के लिए सचेत रहने की जरूरत है। प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्य कौशल किशोर ने पौधा व अंगवस्त देकर डा अनिल प्रकाश जोशी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के उद्घाटन संबोधन में सदस्य मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून बनाये गये हैं। इसमें पेड़-पौधों को संरक्षण प्रदान करने के साथ जैव संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र घोषित करने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रुप में लेना होगा। सभी को उसमें अपनी सहभागिता निभानी होगी। उन्होंने प्राधिकरण के नये कदम नीतीश पेंडेंट और बीएसडीआरएन एप्प के बारे में भी विस्तार से बताया। डा अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि अभी जागरूक होकर हम उप भयावह परिणामों को रोक सकते हैं। इसके लिए जल-जीवन और जंगल का संरक्षण करना होगा।

यह संरक्षण सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेवारी है। डा जोशी ने कहा कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हालात बेकाबू होने लगे हैं। हमें यह समझना होगा, हवा, पानी, मिट्टी, प्रकृति के सबसे बड़े उत्पाद हैं। इनके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है, यदि मानव मात्र को बचाना है तो पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। डा जोशी ने कहा कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास आवश्यक है, परंतु यदि मानव जीवन नहीं रहेगा तो इस विकास का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। प्राधिकरण के सदस्य पीएन राय ने कहा कि पहले बिहार में मात्र सात प्रतिशत हरित क्षेत्र था जो अब बढ़कर १५ प्रतिशत हो गया है। आने वाले दिनों में ग्रास इकोलॉजी प्रोडक्ट पर प्राधिकरण कार्य करेगा। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव मीनेंद्र कुमार, विशेष सचिव आशुतोष सिंह, पर्यावरणविद डा नागेंद्र मेहता, पत्रकार पंकज मालवीय समेत कई ने अपने विचारों को रखा।

कांग्रेस 12 को खोलेगी छह सीटों का पत्ता

(N) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर अप्रैल माह में राज्य के कुल 366 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 39 सरकारी एवं 327 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Month April -2024, Update Status of Covid & Non-Covid Hospitals Fire Audit report Districtwise

Sr. No	District	Covid Hospital			Non-Covid Hospital		
		Governmental	Private	Total	Governmental	Private	Total
1	Patna	0	0	0	2	26	28
2	Nalanda	0	0	0	1	16	17
3	Rohtas	0	0	0	2	9	11
4	Bhabhua	1	1	2	0	4	4
5	Bhojpur	0	0	0	1	1	2
6	Buxar	0	0	0	0	6	6
7	Gaya	0	0	0	0	16	16
8	Jehanabad	0	0	0	0	4	4
9	Arwal	0	0	0	1	1	2
10	Nawada	0	0	0	0	1	1
11	Aurangabad	0	0	0	2	1	3
12	Chhapra	0	0	0	1	5	6
13	Siwan	1	0	1	0	15	15
14	Gopalganj	0	0	0	1	3	4
15	Muzaffarpur	0	1	1	0	17	17
16	Sitamarhi	0	0	0	1	14	15
17	Sheohar	0	0	0	0	2	2
18	Bettiah	0	0	0	0	8	8
19	Bagaha	0	0	0	0	0	0
20	Motihari	0	0	0	6	26	32
21	Vaishali	1	0	1	0	20	20
22	Darbhanga	0	0	0	4	19	23
23	Madhubani	0	0	0	1	14	15
24	Samastipur	0	0	0	3	9	12
25	Saharasa	0	0	0	0	5	5
26	Supaul	0	0	0	1	4	5
27	Madhepura	0	0	0	0	4	4
28	Purnea	0	0	0	0	6	6
29	Araria	0	0	0	1	1	2
30	Kishanganj	0	0	0	0	4	4
31	Katihar	0	0	0	2	9	11
32	Bhagalpur	0	0	0	1	12	13
33	Naugachhia	0	0	0	0	4	4
34	Banka	0	0	0	0	4	4
35	Munger	0	0	0	1	1	2
36	Lakhisarai	0	0	0	0	0	0
37	Shekhpura	0	0	0	1	0	1
38	Jamui	0	0	0	0	5	5
39	Khagaria	0	0	0	0	9	9
40	Begusarai	1	0	1	2	20	22
Total		4	2	6	35	325	360

इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 13,212 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है।

(O) अप्रैल माह की व्यय विवरणी (रुपये में)

अप्रैल - 2024		
A	**31-06 (गैर–वेतन)**	
1	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	23,12,534
2	कार्यालय व्यय	7,68,660
3	वाहन–क्रय	28,60,915
4	वाहन इंधन	1,47,297
5	ज्न जागरुकता	18,480
6	सुरक्षित तैराकी	2,000
7	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	29,48,730
8	जीविका दीदी -प्रशिक्षण	5,63,205
9	विकलांग प्रशिक्षण	35,000
10	भूकंप–सुरक्षा	5,22,653
11	मेला / प्रदर्शनी	12,921
12	डूबने से होनेवाली मौत	6,000
13	डीआरआर कैलेंडर	4,95,380
14	प्रकाशन एवं मुद्रण	4,956
15	सोनपुर मेला 2023	14,27,389
16	सम्मान समारोह	6,641
17	यात्रा–भत्ता	45,373
18	विद्युत	1,996
19	चिकित्सा	2,000
20	दूरभाष	1,954
B	"अपस्केलींग ऑफ आपदा मित्र"	17,968

(P) जन–जागरूकता के लिए मास मैसेजिंग

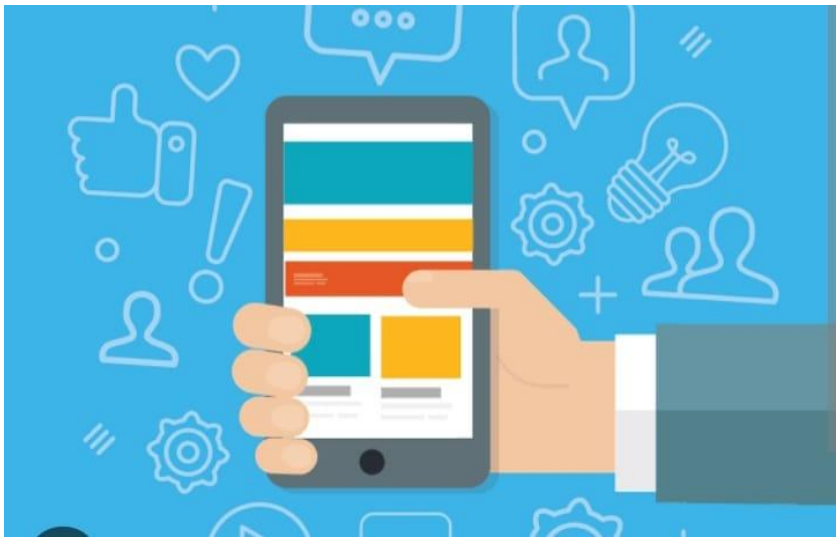

प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आमलोगों को आपदा के खतरों से अवगत कराना जरूरी है। इसे ध्यान में रख प्राधिकरण की ओर से विभिन्न आपदाओं की स्थिति में 'क्या करें, क्या न करें' की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में जिला पदाधिकारी (38), एडीएम (38), बीडीओ (534), सीओ (534), प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (चयनित–207429, गैर चयनित–435699), जीविका दीदी– (148890), आशा कार्यकर्ता (77542) व आंगनबाड़ी सेविका (45946) के नंबर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों के नंबर भी मौजूद हैं। इस तरह लगभग 36 लाख नंबर पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मास मैसेजिंग) नियमित रूप से किए जाते हैं। मार्च, 2024 में कुल कुल 1582133 मास मैसेजिंग किए गए। गर्म हवाएं एवं लू से बचाव से जुड़े संदेश इस माह में प्रसारित किए गए।